>

Title: Need to establish police station at Suppi in district Sitamarhi, Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया थाना अंतर्गत अख्ता ग्राम सांप्रदायिक एवं नक्सली दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। जहां विधि-व्यवस्था कायम रख पाना प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। एक भीषण दंगे के उपरांत सन् 1962 से 1972 तक यहां मिलिट्री कैम्प भी काबिज किया गया था। वर्ष 1972 में सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए अख्ता ओ.पी. की अधिसूचना जारी कर, एक दरोगा, एक जमादार, एक मुंशी एवं 8 सिपाही का पदस्थापन करते हुए अख्ता ओ.पी. को थाना के रूप में दर्जा दिया गया। जिसके फलस्वरूप यहां अनेकों छोटे-बड़े कांडों को रोकने में प्रशासन को सफलता मिली। परंतु, आज पूरे उत्तर बिहार के साथ सीतामढ़ी जिला नक्सलवाद से प्रभावित है एवं आए दिन यहां आपराधिक घटनाक्रम होते रहते हैं। 5-6 वर्ष पूर्व अख्ता ओ.पी. के कार्यक्षेत्र में ही एक नक्सली मुठभेड़ हुआ था, जिसमें अख्ता ओ.पी. बल, पुरनहिया थाना बल (शिवहर) एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को संयुक्त मोर्चा संभालना पड़ा था। वर्तमान समय में अख्ता ओ.पी. के क्षेत्र में पिपराढ़ी सुल्तान एक ग्राम है जो लालबकेया एवं बागमती के दियारा क्षेत्र में पड़ता है। जो नक्सलियों का सुरक्षित स्थान माना जाता है। साथ ही अख्ता व्यवसायिक जगह है जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्थापित है। जिसने अपनी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की है। यहां प्रायः डकैती एवं लूटपाट की घटना होती रहती है। ऐसी स्थिति में अख्ता ओ.पी. भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रशासन द्वारा सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद अख्ता ओ.पी. के बदले सुप्पी में थाना का निर्माण किया जाना जनहित में नहीं है। विदित हो कि सुप्पी से अख्ता की दूरी 9 कि.मी. है। जिस कारण सुप्पी थाना से अख्ता ओ.पी. को नियंत्रित कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता। मैं अख्ता की वस्तुस्थिति से जिला प्रशासन को समय-समय पर अवगत कराती रही हूं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त अख्ता की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्पी में थाना के भवन निर्माण के साथ-साथ अख्ता ओ.पी. के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाए। जिससे कि वहां अमन-चैन कायम रह सके।